राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी–स्कीम, जयपुर–302005
दूरभाष सं. 0141–2229314, 2226728 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट : www.lsgraj.in, www.cmar-india.org

क्रमांकः भूमि / एफ.7(ड) / (498) / डीएलबी / 2006 / 2903 दिनांक : 09.03.2016

आ दे श

राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड / भवनों की बकाया लीज राशि पर देय ब्याज में निम्नानुसार छूट प्रदान करती है :–

1. पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि मय चालू वर्ष की लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर बकाया लीज राशि के ब्याज में 50 प्रतिशत राशि की छूट देय होगी।
2. पूर्व की समस्त बकाया एवं आगामी समस्त वर्षो के लिये देय लीज राशि एकमुश्त जमा कराने वाले लीज होल्डर्स को बकाया लीज राशि के ब्याज में शत–प्रतिशत छूट देय होगी।

परन्तु यह छूट दिनांक 30.06.2016 तक आवेदन करने एवं दिनांक 30.09.16 तक लीज राशि जमा कराये जाने पर ही देय होगी।

राज्य की समस्त नगर निगम / परिषद / पालिकाओं द्वारा उक्त योजना का लाभ अधिकाधिक को प्रदान किये जाने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ–साथ लीज राशि वसूली हेतु शिविर लगाये जावें।

यह आदेश वित्त (राजस्व) विभाग की आई.डी. सं. 1016000605 दिनांक 08.03.2016 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है।

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं पदेन विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः भूमि / एफ.7(ड) / (498) / डीएलबी / 2006 / 2904–3146 दिनांक : 09.03.2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास व स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त / जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. समस्त क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिकायें, राजस्थान।
9. समन्वयक, सिटी मैनेजर्स एसोसियेशन, निदेशालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड़ करने हेतु प्रेषित है।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(संचिता बिश्नोई)
अतिरिक्त निदेशक